राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, पीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 113/2025

डॉ मांगीलाल विश्नोई —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–III), जयपुर।
3. निदेशक, (प्रशासन) पंचायती राज (चिकित्सा), जयपुर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जालौर। —प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक : 22.01.2025

उपस्थित :–
अपीलार्थीगण की ओर से : श्री हापूराम विश्नोई, अधिवक्ता

समक्ष :– लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4–ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अभिभाषक ने यह कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में उप निदेशक के पद पर सामुदायिक सेवा स्वास्थय केंद्र हाड़ेचा, जिला जालोर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से जिला अस्पताल शिवगंज, सिरोही में किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का आगे का यह कथन है कि अपीलार्थी की सेवाएं राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियमों के अंतर्गत आती है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त नियमों की अवेहलना करते हुए आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) जारी किया गया है, जो कि अवैध एवं मनमाना है जिसे अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे।
3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया। हम पाते हैं कि अपीलार्थी वर्तमान में उप निदेशक के पद पर सामुदायिक सेवा स्वास्थय केंद्र हाड़ेचा, जिला जालोर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से जिला अस्पताल शिवगंज, सिरोही में किया गया है।ऐसे में हम पाते है कि न्यायहित मे अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह

की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

4. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य